

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टहला)

वाद संख्या :- 02/75/2017

रामकृपाल बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 27.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टहला पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 27.06.2017 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 19/7.69 है। वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई थी तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण उपस्थित न्यायालय आये व उनकी ओर से जवाब पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2072-75 खाता संख्या 1 वाके टहला के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित सिवायचक पहाड व पर्वत किस्म कैम्पिंग ग्राउण्ड की खातेदारी में दर्ज है इसलिए प्रार्थी आराजी विवादित का प्रथम दृष्टया खातेदार साबित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 19/7.69 है। वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को कैम्प कोर्ट टहला पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टहला)